राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर–302005
(दूरभाष नं0:–0141–2740837, फैक्स 0141–2742309, ई–मेलः aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :– एफ.3(ई)(1)(6)एसीपी / जयपुर / अलेसे–II / 390 दिनांक :– 28/6/2023

आदेश संख्याः– 26/2023-24

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7)वित्त (नियम) / 2008 दिनांक 12.09.2008, आदेश संख्या एफ.11(7) वित्त(नियम) पार्ट–I / 2008 दिनांक 06.10.2008 एवं प.14(88) वित्त / नियम / 2008 दिनांक 31.12.2009 के अनुसरण में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में 18 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त सन्तोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण–पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.14(88)वित्त / नियम / 2008 दिनांक 05.07.2013 के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे–बैण्ड 2 (9300–34800) में ग्रेड–पे 4800 / – स्वीकृत की जाती है।

क. सं	नाम (सर्वश्री)	मेरिट / बैच नं. लिंक नं.	कनिष्ठ लेखाकार / समान ग्रेड पे में अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय ए.सी.पी. देय तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सुभाष चन्द कोली	37 / 1992 SP 5734	23.01.1995	23.01.2015	कार्मिक (क–3 / जांच) विभाग के आदेश दिनांक 23.12.2013 के द्वारा 02 वार्षिक वेतनवृद्वि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

उपरोक्त कार्मिक / कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें :–

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कॉलम 6 में अंकित के अतिरिक्त अन्य कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरूद्ध फौजदारी / विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 07 वर्षो से कॉलम 6 में अंकित के अतिरिक्त नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावें।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :– एफ.3(ई)(1)(6)एसीपी / जयपुर / अलेसे–II / 390 दिनांकः– 28.06.2023

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–</u>

1. संबंधित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II
5. रक्षित / निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II / III)